भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2240

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोविड-19 के दौरान हुई मौतें

†2240. श्री सु. वेंकटेशनः

श्री सचिदानन्दम आर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए उन समाचार रिपोर्टों पर ध्यान दिया है जिनमें कहा गया है कि भारत में कोविड-पूर्व वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में कोविड के कारण लगभग 25.8 लाख अधिक मौतें दर्ज की गई, जो दो वर्षों की अवधि के दौरान जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उस वर्ष की आधिकारिक कोविड मृत्यु संख्या 3.3 लाख से लगभग छह गुना अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोविड-19 अवधि के दौरान मौतों की कम रिपोर्ट दी गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट की कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो देश में उक्त अवधि के दौरान मृत्यु रिपोर्टों में पाई गई विसंगतियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मौतों की कम गणना देखी गई, जहां राज्यों की आधिकारिक गणना की तुलना में क्रमशः 33 गुना और 18 गुना अधिक मौतें हुईं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के अंतर्गत, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। केंद्रीय स्तर पर भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) पूरे देश में पंजीकरण की गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करते हैं, जबकि इस प्रणाली का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

जैसा कि कुछ समाचार रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के अंतर्गत मृत्यु दर के आंकड़े, मृत्यु के सभी कारणों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट की गई पंजीकृत मौतों की संख्या को दर्शाते हैं।

*****